न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/133

दायरा दिनांक : 02.08.2022

उनवान

रामचन्द्र आत्मज श्री मदनलाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम माथनिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– लीलाबाई पुत्री मदनलाल पत्नि प्रकाश चन्द, जाति महाजन, निवासी माथनिया हाल निवासी चौपडा बाजार, जीरापुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
2– मोहनलाल आत्मज श्री मदनलाल
3– रामनारायण आत्मज श्री मदनलाल
4– धर्मेन्द्र कुमार आत्मज श्री मदनलाल
5– प्रेम चन्द्र आत्मज श्री मदनलाल
6– सुनीता कुमारी पुत्री स्व0 कैलाश चन्द्र
7– कुसुम बाई पत्नि स्व0 कैलाश चन्द्र
8– चन्द्रकला पुत्री मदनलाल
अकवाम जाति महाजन, निवासी माथनिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
9– राजस्थान जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 29.09.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – राजस्व वाद/70/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 1 तथा धारा 151 सी पी सी 1908 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम माथनिया, पटवार हल्का माथनिया, तहसील पिडावा की खाता संख्या नया 378 पुराना 347 खसरा नम्बर 323 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 324/1547 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 862 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 6

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा आराजी स्थित है। विवादग्रस्त आराजी का कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है, इस आराजी में जमाबंदी के अनुसार वादी सं. 1 का हिस्सा 1/6 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के निर्णय दिनांक 23.06.2018 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा आपसी राजीनामे के तहत वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः वाद प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम माथनिया की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 378 की आराजी किता 4 रकबा 11.06 बीघा भूमि का वादिया को 1/6 हक, हिस्से व कब्जे अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानूनी प्रावधानों सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों एवं राजस्व लोक अदालत के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर पारित की है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि राजीनामा केवल मात्र 5 प्रतिपक्षी के द्वारा किया जाना जाहिर है एवं अपीलांट के हस्ताक्षर की पहचान बाबत किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, पहचानकर्ता के हस्ताक्षर के कॉलम पर किसी पहचानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है एवं अपीलांट के हस्ताक्षर एवं आदेशिका दिनांक 23.06.2018 पर अपीलांट के हस्ताक्षर में भिन्नता है एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र पर वादिनी लीलाबाई के हस्ताक्षर न होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में राजीनामे के आधार पर डिक्री तब ही प्रदान की जाती है जब सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.06.2018 पर लीलाबाई के हस्ताक्षर नहीं है एवं अपीलांट के हस्ताक्षर स्वयं अपीलांट के नहीं है और ना ही किसी पहचानकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रकरण में वादिनी एवं 8 अन्य व्यक्ति सरकार के अलावा पक्षकार है। इस प्रकार कुल 9 व्यक्तियों में से केवल 5 व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण पक्षकारान के हस्ताक्षर के अभाव में राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी के मामले में न्याय हित में अपीलांट को जवाबदावा, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना अति आवश्यक है इसके अभाव में अपीलांट काउंटर क्लेम पेश करने से भी वंचित रह गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आदेशिका दिनांक 23.06.2018 से स्पष्ट है कि लोक अदालत में जो भी पांच पक्षकार उपस्थित हुए वह प्रतिवादीगण थे। वादिनी उपस्थित नहीं थी जब वादिनी ही दिनांक 23.06.2018 को उपस्थित नही थी तो वादिनी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमाना चाहिए था या प्रकरण को नियमित सुनवाई हेतु मुकाम पिडावा पर आगामी सुनवाई हेतु रखना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं फरमाकर वादिनी के उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी एवं वादिनी की सहमति नहीं होते हुए भी वाद डिक्री कर दिया, जो अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.06.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7 हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.06.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 209 का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प माथनिया में समझौते के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 को 1/6 हक, हिस्से व कब्जे के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा ट्रेस, बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.06.2018 पर पक्षकारान के मध्य हुए समझौते पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होना नहीं पाया जाता। विधिक रूप से समझौते पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अपीलांट का यह कथन है कि आदेशिका दिनांक 23.06.2018 अपीलांट, प्रतिवादी क्रम 7 के हस्ताक्षर स्वयं अपीलांट के नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.06.2018 व प्रस्तुत अपील में अंकित अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 7 के हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया भिन्न होना पाया गया। अपीलांट का यह भी कथन है कि राजीनामे पर स्वयं वादिनी लीलाबाई के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट का यह कथन भी सत्य होना पाया गया । आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करते समय अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में उनकी सुनवाई करने के पश्चात् सभी पक्षकारान की आपसी सहमति होने पर आपसी समझौते पर उनके हस्ताक्षर करवाने के पश्चात् उनकी पहचान सुनिश्चित होने पर समझौते के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए। प्रस्तुत वाद में समझौते के आधार पर निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करना नहीं पाया गया।

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में दिनांक 24.11.2023 को उपस्थित होवे।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा